तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3806 / भरतपुर** **रामलाल बनाम श्रीमती कमलेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 06 दिसम्बर, 2019

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 8–6–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता / वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत किया उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या–1 ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि बृजेन्द्र यादव पुत्र श्री रामलाल जाति अहिर निवासी नगला मांझी तहसील कुम्हेर का साक्ष्य वादी में मुख्तयारनामा द्वारा जरिये शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके बाबत न तो न्यायालय से आदेश प्राप्त किया है और न ही कोई कारण स्पष्ट किया है कि मुख्तयारनामा के जरिये शपथ पत्र किसलिये प्रस्तुत किया है और न ही कोई अधिकार वादी के होते हुये जरिये मुख्तयारनामाआम साक्ष्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3806 / भरतपुर</u>** **रामलाल बनाम श्रीमती कमलेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत करने का कानूनन प्राप्त है। वादी शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। फिर अपने आपको साक्ष्य के लिये क्यों प्रस्तुत हो रहा है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य करने की सूरत में समस्त तथ्यों का खुलासा न होने की पूर्व संभावना है जो मुख्तयारनामाआम से खुलासा होने की संभावाना नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बृजेन्द्र पुत्र रामलाल द्वारा मुख्तयारआम शपथ पत्र को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानते हुये निरस्त फरमाया जावे।

3– उभय पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8–6–2005 द्वारा निम्न निर्णय पारित किया :–

> ''मुख्तयारआम के द्वारा बयान तो दे सकता है यह बात तो सही है परन्तु मुख्तयारआम के जरिये जो बयान दिया गया है वह वादी का स्थान नहीं ले सकता है तथा वक्त Merrit पर निर्णय बृजेन्द्र पुत्र रामलाल के द्वारा प्रस्तुत की साक्ष्यपर एक स्वतंत्र गवाह के रूप में उसका क्या फेट होगा विचार किया जायेगा।''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4– बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस की कि यह निर्णय तथ्यों एवं रिकार्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नॉन–स्पीकिंग है। प्रार्थी रामलाल को अपनी साक्ष्य जरिये मुख्तयारआम प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार है जिसके लिये न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3806 / भरतपुर</u>** **रामलाल बनाम श्रीमती कमलेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की पूर्व अनुमति होना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने मुख्तयारआम में साक्ष्य स्वयं न देने के संबंध में कारण वर्णित कर दिये हैं। मुख्तयारआम से यदि दोराने जिरह खुलासा न हो पाये तो उसका फायदा धारा–44 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण श्रीमती कमलेख आदि को ही मिलेगा। वैसे रामलाल का मुख्तयारआम दौराने जिरह ही प्रश्न जवाब देने को तैयार है ऐसी स्थिति में मुख्तयारआम का शपथ पत्र साक्ष्य ग्रहण किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कानूनी रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विद्वान अभिभाषक निगराकार ने अपने तर्को के समर्थन में एआईआर–2001 कर्नाटक पेज–231 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने कैलाशी बनाम मातादीन एआईआर–2001 पेज–306 एवं आरआरटी–(1) पेज–328 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। 6– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रार्थी रामलाल शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है तथा साक्ष्य देने में पूर्ण रूप से सक्षम है तथा पेशी पर भी अपने मुकदमें की पैरवी नियमित रूप से करता रहा है। प्रार्थी रामलाल द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने से समस्त तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है जो मुख्तयारआम के द्वारा संभव नहीं है। वैसे भी कानूनन मुख्तयारआम को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। निगरानी में कोई Legal force नहीं होने से प्रार्थी रामलाल के मुख्तयारआम द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र मुताबिक कानून साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। अपने तर्को के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने हमारा ध्यान 1995 आरआरडी पेज–731, 732 की ओर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3806 / भरतपुर</u>** **रामलाल बनाम श्रीमती कमलेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आकर्षित करते हुये निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी परिशीलन किया।

8– विद्वान उपखण्ड अधिकारी का आदेशनिम्नानुसार है :–

> ''मुख्तयारआम के द्वारा बयान तो दे सकता है यह बात तो सही है परन्तु मुख्तयारआम के जरिये जो बयान दिया गया है वह वादी का स्थान नहीं ले सकता है तथा वक्त Merrit पर निर्णय बृजेन्द्र पुत्र रामलाल के द्वारा प्रस्तुत की साक्ष्यपर एक स्वतंत्र गवाह के रूप में उसका क्या फेट होगा विचार किया जायेगा।''

9– विद्वान उपखण्ड अधिकारी का आदेश Non Speaking आदेश है जो न तो Specific है और न Clear है।

10– अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 8–6–2005 निरस्त करते हुये प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह कानूनी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये विधिवत Specific एवं Clear आदेश पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**हरि शंकर गोयल**)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3806 / भरतपुर</u>** **रामलाल बनाम श्रीमती कमलेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए